

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

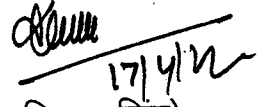
// आदेश //

क्रमांकC/2963/.....

जबलपुर, दिनांक 22/04/2025

श्री संतोष पन्द्रो, ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा दिनांक 13.11.2024 से 03.12.2024 तक 21 दिन तथा दिनांक 14.12.2024 से 04.02.2025 तक 53 दिन की अनुपस्थिति के समर्थन में किसी भी प्रकार के चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप उनका अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2025 निरस्त करते हुए अवैतनिक किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

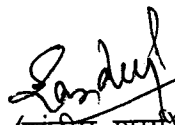

(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांकC/2964/.....

जबलपुर, दिनांक 22/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री संतोष पन्द्रो, ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संदीप शर्मा)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)
25.04.25